

28.03.2018

श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर मौखिक निवेदन किया कि उन्हें आरोपी बालकिशन के वारिसान की ओर से अर्थदण्ड की राशि जमा करना है। प्रकरण आज पेशी में लिये जाकर अर्थदण्ड जमा करने की कृपा करे। निवेदन विचार उपरांत स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। मूल सत्रवाद क्रमांक 11/1995 आरोपी आरोपी बालकिशन पुत्र भगरीलाल निवासी घनश्यामपुरा गोहद को भा0द0वि0 की धारा 302 के अपराध में 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था जिसे आज अधिवक्ता श्री गुप्ता के द्वारा जमा किया गया जो रशीद क्रमांक 07 व बुक क्रमांक 11232 पर जमा कर उन्हें रशीद दी गयी।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही होना शेष नहीं। आगामी तिथि निरस्त हो।

अतः प्रकरण का सार अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)